

16³/21

पत्र संख्या: 16/517

वकील, श्री अ. प्रसाद के नाम से यह पत्रिका में
दिए जाने के बावजूद भी समाचार पत्र की विषय
को पत्रिका 09 RSCPL के नाम से अंगार
में खरीज की जाती है

पत्रिका केवल शुभानु के नाम से ही
दिए गए हैं

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

